इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2025—माघ 18, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2025

क्र. GAD-6-0004-2024-GAD-1-एक-(GAD).-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री संजीव एस. कालगांवकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. ए-8071-(दो-1-16-2024) दिनांक 22 नवम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 6 से 13 अक्टूबर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्तिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt (एक) दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

2. अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह तृतीय अवसर है.

क्र. GAD-6-0005-2024-GAD-1-एक-(GAD).-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री हृदेश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को डी. आर.-कम-पी. पी. एस. उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए-8445 (दो-1-16-2023) दिनांक 6 दिसम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2024 तक तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2025

क्र. GAD-6-0001-2025-GAD-1-एक-(GAD).-माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती सुनीता यादव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-5290(दो-1-11-2021), दिनांक 21 नवम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 9 से 17 अगस्त 2024 तक कुल नौ दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 अंतर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नमःशिवाय अरजरिया, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025

फा. क्र. 229-इक्कीस-ब-(एक)-2025.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17(ई)-8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च, 2012, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक, दिनांक 30 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्र.	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	मुख्यालय का स्थान	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	श्री कपिल सोनी, पन्द्रवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2, ग्वालियर.	ग्वालियर	राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर का समाविष्ट क्षेत्र.".

F. No. 229-XXI-B(One)-2025.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam, 2012, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. F. No. 17(E)8-2012-XXI-B (One), dated 2nd March, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 30th March, 2012, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Authorized Officer	Place of Headquarter	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	Shri Kapil Soni, XVth District and Additional Sessions Judge, Gwalior and Presiding Judge, Special Court No. 2 Gwalior.	Gwalior	Area comprising of Revenue districts, Gwalior, Shivpuri Guna and Ashoknagar.".

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2025

फा. क्र. 335-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्री अरविंद श्रीवास्तव, अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रतलाम को अतिरिक्त सचिव के पद पर, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर डॉ. सुधांशु सक्सेना के स्थान पर एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2025

फा. क्र. 341-2025-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर में श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल के स्थान पर.
2	श्री भूभास्कर यादव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बाहेर जिला बालाघाट.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी में श्री दीपक गुप्ता के स्थान पर.
3	श्रीमती वंदना जैन, विशेष न्यायाधीश, एस. सी. / एस. टी. (पी. ए.) एक्ट, शिवपुरी.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास में श्री अशोक कुमार शर्मा (जू.) के स्थान पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2025

पंजी क्र. 216-2025-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला मुख्यालय, कटनी में विभागीय आदेश दिनांक 6 मार्च 2010 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2025

फा. क्र. 214-2025-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा द्वारा श्रीमती पुष्पा खाबिया, नोटरी, मंदसौर के विरूद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विवाह अनुबंध सम्पादित / निष्पादित किये जाने का दोषी पाया है. जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम 1952 के नियम, 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) (I) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थाई तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है.

फा. क्र. 215-2025-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा द्वारा श्री ओमप्रकाश नाहटा, नोटरी, उज्जैन के विरूद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुबंध-पत्र पर अनुबंधककर्ता के रूप में चार व्यक्तियों के नाम होने के उपरांत अनुबंध-पत्र मात्र दो व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किये जाने का दोषी पाया है. जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम 1952 के नियम, 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) (I) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थाई तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे, अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 22 जनवरी 2025

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)

प्र. क्र.-अ-82-2024-25-क्र. 273-भू-अर्जन-2025.—एतद्द्वारा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ''अनुभाग रतलाम के अंतर्गत रतलाम मोरवानी मार्ग रतलाम गोधरा रेलखण्ड पर रेल्वे समपार क्रमांक 79 पर रेल्वे ओवरब्रिज निर्माण हेतु जिला रतलाम की तहसील रतलाम शहर के प.ह.नं. 10 के ग्राम सागोद के 01 खाताधारकों की निजी भूमि परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2-ए-भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.

अत:, निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रेल्वे मेन्स गृह निर्माण सहकारी संस्था रतलाम द्वारा अध्यक्ष एन. एल. सुन्दर निवासी डी. एस. ऑफिस दो बत्ती रतलाम.	309/1	0.050	-	0.050	-
		314/4/2	0.010	-	0.010	-
		314/4/1	0.110	-	0.110	-
		314/1/10	0.100	-	0.100	-
	कुल		**0.270**	-	**0.270**	-

राजेश बाथम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 13 जनवरी 2025

प्र. क्र. 23-अ-82-वर्ष 2024-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	डुंगरहो	निजी भूमि पर स्थित 03 मकानों का अर्जित रकबा का क्षेत्रफल 225.95 वर्गमीटर एवं शासकीय भूमि-0.000 हे. इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 225.95 वर्ग मीटर भूमि.	उप मुख्य अभियंता / निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो.	ललितपुर - सतना रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो, (541 किमी) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु (पूरक / छूटे हुये रकबों का प्रस्ताव).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता / निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–0009–अ–82–2023–24–बदनूरढाना–11130 बैतूल, दिनांक 5 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची - 1

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	बैतूल	बदनूरढाना	0.040	इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

अ.क्र.	ख.नं.	कुल रकबा हे.में	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे. में	मौके की स्थिति / परिसंपत्ति	वर्तमान में भूमि के कब्जेदार / उपयोग की स्थिति
1	107/2	0.013	0.009	14.55mx7.55m पर दो मंजिला पक्का मकान	शांता पति गणेश प्रसाद वामनकर
2	107		0.006	लोहे का इलेक्ट्रिक पोल तथा डामर रोड	सार्वजनिक उपयोग हो रहा है।
3	106		0.008	5.20mx17.4mदो मंजिला मकान (0.001हे.) पर टीन शेड बना है	चन्द्रभागा के कब्जे में है, परन्तु अभिलेख में चन्द्रभागा के नाम ख.नं. 113/3 रकबा 0.008 हे. दर्ज है, जो अर्जित नही की जा रही है।

			0.005	2.7mx4.8m (0.001हे.) पर टीन शेड बना है	चन्द्रभागा के कब्जे में है।
	106/18	0.018	0.001	1.6mx0.38m (0.001हे.) पक्की कम्पाउंड वाल	निर्मला दुबे के स्वामित्व की
	106			(0.003 हे.) मौके पर रिक्त है, जिसपर 1 पपीता, 1 आम, 1 जाम, 1 नीबू, 1 कटहल, 1 केला पेड़ है।	मूल ख.नं. की शेष बची भूमि, जो मौके पर रिक्त है। किसी का आधिपत्य नही है। मूल खसरा नंबर 106 वर्तमान में अस्तित्व में नही है।
4	95		0.012	मौके पर रिक्त	अधिकार अभिलेख 1968-89 में हरिलाल, श्यामलाल पिता छेदीलाल के नाम दर्ज है। मूल भूमिस्वामी का नाम वर्तमान अभिलेख के ख.नं. 95 के बटांकन में दर्ज नहीं है। प्रस्तावित रिक्त भूमि का सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के आधिपत्य में नही है।
	योग		0.040	-	-

(2) चूँकि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना **से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।**

3) **प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।**

(4) **समुचित सरकार की वेबसाईट** www.betul.nic.in **पर भी अपलोड किया गया है।**

क्र.–0005–अ–82–2023–24–चिखल्दा खुर्द–11999 बैतूल, दिनांक 27 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	शाहपुर	चिखल्दा खुर्द	0.934 हे.	इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	भगवती बेवा बाबूलाल लक्ष्मीनारायण, देवनारायण, जीवनलाल पिता बाबूलाल, प्रेमवती, मीरा, गीता पुत्री बाबूलाल	92/1	0.091	0.010
2	कैलाश पिता शंकरलाल	94/1	0.111	0.063
3		96/1	1.005	0.100
4	सूर्यकांत पिता मिश्रीलाल	116/1	2.902	0.022
5	संगीता पत्नी सुनील सलाम	118/1	0.228	0.011
6	लुथिया बाई बेवा भैयालाल, इद्रवती, उर्मिला पिता भैयालाल	120/1	0.073	0.015

7	प्रहलाद पिता बालमुकुंद, रज्जो, मर्रो, जयवंती पुत्री बालमुकुंद	121/1/1	0.495	0.042
8	अज्जादी बेवा मुकुंदी महेश, दिनेश पिता मुकुंदी, सुशीला पुत्री मुकुंदी	121/2/1	0.495	0.042
9	सेवकराम पिता नानकराम, आशा पुत्री नानकराम, सुरज, पिता कांतीलाल, मोहनी पिता कांतीलाल	132/2/1	0.196	0.031
10	भगवती बेवा बाबूलाल लक्ष्मीनारायण, देवनारायण,	132/1/2	0.073	0.073
11	जीवनलाल पिता बाबूलाल, प्रेमवती, मीरा, गीता पुत्री बाबूलाल	132/1/1	0.024	0.023
12	अरूण कुमार पिता चंद्रगोपाल	133	0.271	0.045
13	यशोदा बेवा श्रीराम, भूरी, दुर्गा प्रियंका पुत्री श्रीराम	131/6	1.136	0.026
14	गणेश पिता रामप्रसाद	131/7	1.137	0.027
15	मथुराबाई पिता काशीराम	135/3	0.405	0.036
16	कौशल्या पति दशरथ	134	0.539	0.368
कुल योग			**9.181**	**0.934**

(2) चूँकि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.–0008–अ–82–2022–23–भू–अर्जन–भयावाड़ी–122 बैतूल, दिनांक 3 जनवरी 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	शाहपुर	भयावाड़ी	**0.752**	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल, बैतूल @ नागपुर	इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	अखलेश व. मोती कुड़मी	1/2/1	0.722	0.046
2	राधे व. मनी, चन्द्रकला बे. चैतराम, दीपक व. चैतराम, चित्रलेखा, मीना, कविता, ज्योति पिता चैतराम, कुंवर, गणेश व. सालक, रामकली पिता सालक, श्यामजी व. भगवानदास , सुदामा, रामाधार व. दमड़ू, राजेश, सतीश व. लक्ष्मण, आनंद, राजकुमार व. नारायण, आशा, संतोषी, सविता पिता नारायण कुड़मी	11	0.308	0.140

3	भूपेन्द्र पिता अखलेश कुड़मी नि. भयावाड़ी	12/1	0.383	0.115
4	ललिता जौ. सुनील कुड़मी	26/1	0.212	0.024
5	मनको बे. सोनू, मोती, श्रीराम, लीलादास, गणेश व. सोनूलाल, पुष्पा बे. देवीप्रसाद, विनोद, प्रमोद व. देवीप्रसाद, विनीता पिता देवीप्रसाद साहू नि. शाहपुर	28/1	2.068.	0.016
6	सुनील व. प्रेमलाल कुड़मी नि. शाहपुर	44/2/1	1.030	0.071
7	भागीरथ व. इमरत कुड़मी	44/1/1	1.068	0.012
8	राजाराम व. रामभरोस कुड़मी	535/1	0.219	0.030
9	लखन व. रामबालक कुड़मी नि. शाहपुर	541/5	1.734	0.160
10	सुन्दरलाल व. रामू गोंड नि. घोड़ाडोंगरी	542/1	0.211	0.138
कुल योग			**7.955**	**0.752**

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि **इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना** के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, **जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।** धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) **शाहपुर** के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्र. 677—भू—अर्जन—25 राजगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2025

क्रमांक/ 01 / अ-82 भू-अर्जन/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना में भूमि का अर्जन हेतु **ग्राम सेमलागोगा** तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम सेमलागोगा		तहसील नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0		
		सिंचित	असिंचति	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	2.572	-	2.572

अनुसूची(2)

?

स.क.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	सिंचित/ असिंचित
1	2	3	4	5	6
1	प्रेमनारायण पिता रामप्रसाद जाति काछी	426/1	1.175	0.070	सिचिंत
2	परमानन्द पिता परसराम जाति देशवाली	425/2	1.265	0.110	सिचिंत
3	राजाराम दोलत सिंह पिता बंशीलाल जाति काछी	424/3/1	0.897	0.080	सिचिंत
4	दोलत सिंह पिता बंशीलाल जाति काछी	438/3	0.379	0.035	सिचिंत

5	घनश्याम पिता बद्रीप्रसाद जाति ब्राहाम्ण	444	0.316	0.040	सिचिंत
		445	0.291	0.031	सिचिंत
		453/2	4.328	0.270	सिचिंत
		492	2.795	0.120	सिचिंत
6	रेशम बाई पुत्री बकस्या अनोखी बाई बेवा शिवप्रसाद ब्रजेश निकिता पिता शिवप्रसाद जाति बलाई	493	1.252	0.270	सिचिंत
		516/1	0.688	0.210	सिचिंत
7	राधेश्याम पिता मदन जाति बलाई	495/6	1.000	0.130	सिचिंत
8	दरयाव सिंह पिता भवरलाल शान्ति बाई पत्नी दरयाव जाति पारदी	495/3	0.306	0.090	सिचिंत
9	माखन लाल मालवीय पिता कैलाश मालवीय , रामस्वरूप पिता कैलाश जाति बलाई	516/3	0.230	0.050	सिचिंत
10	ब्रजमोहन पिता ब्रद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण	517/2	2.633	0.126	सिचिंत
11	श्री वल्लभ पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण	528/1	1.478	0.060	सिचिंत
		528/2/1	0.065	0.010	सिचिंत
12	मुकुटबिहारी पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण	528/2/2/1	1.548	0.180	सिचिंत
13	शिवप्रसाद पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण	528/2/2/2	0.387	0.090	सिचिंत
14	द्वारका प्रसाद पिता कनीराम जाति खाती	527/2	1.063	0.010	सिचिंत
15	गोविन्द प्रसाद जमनाप्रसाद केलाश चन्द्र महेश कमल पिता भागीरथ जाति खाती	526/1	0.797	0.210	सिचिंत
16	रूपनारायण पिता मोतीलाल जाति खाती	525/2	0.677	0.070	सिचिंत
17	कमल सिंह पिता उमराव सुमनबाई बेवा उमराव जाति खाती	525/1	0.677	0.170	सिचिंत
18	गोपालकृष्ण पिता नन्नूलाल जाति महाजन	523/1	1.137	0.090	सिचिंत
19	भवरीबाई पिता जगन्नाथ जाति खाती	524/1/1	1.141	0.050	सिचिंत
योग	भूस्वामी –19	24	26.525	2.572	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 790–भू–अर्जन–25 राजगढ़, दिनांक 21 जनवरी 2025

क्रमांक/01 /अ34 भू-अर्जन/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 01/अ12 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा – भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क.(7) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम गीलाखेडी	तहसील नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति	

अनुसूची(2)

स.क.	नाम औद्योगिक इकाई	प्लाट न	परिसम्पत्ति का प्रकार
1	2	3	4
1	M/s Hindustan Coca-Cola Ltd	89 A (I)	Boundry Wall
2	M/s Hindustan Coca-Cola Ltd	89 B (II)	Boundry Wall
3	M/s Hindustan Coca-Cola Ltd	92 (III)	Boundry Wall
1	F.M ENGINEERING	90 (I)	Boundry Foundation
2	F.M ENGINEERING	90(II)	Boundry Wall
3	F.M ENGINEERING	90(III)	Foundation For Structure
1	L.P.J. Enterprises	91	Boundry Wall
2	L.P.J. Enterprises	91	Lat Bath
3	L.P.J. Enterprises	91	Platform Back Side
4	L.P.J. Enterprises	91	Platform Fornt Side
5	L.P.J. Enterprises	91	C.C. Road
6	L.P.J. Enterprises	91	Drain
7	L.P.J. Enterprises	91	Septic Tank
8	L.P.J. Enterprises	91	Septic Tank
9	L.P.J. Enterprises	91	House R.C.C.
10	L.P.J. Enterprises	91	House Teen Shed
11	L.P.J. Enterprises	91	House Teen Shed
12	L.P.J. Enterprises	91	C.C. Road
13	L.P.J. Enterprises	91	Drain
14	L.P.J. Enterprises	91	RCC Bulding
15	L.P.J. Enterprises	91	Boundry Wall
16	L.P.J. Enterprises	91	Boundry Wall
17	L.P.J. Enterprises	91	Well

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र.–0004–अ–82–2023–24–भू–अर्जन ग्वालियर, दिनांक 21 जनवरी 2025

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई। अनुसूची के पद (2) एवं (3) में वर्णित भूमियों की अनुसूची के पद (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भू–अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

//अनुसूची//

1–भूमि का वर्णन :–

(क) जिला – ग्वालियर
(ख) तहसील – ग्वालियर
(ग) ग्राम – गौसपुरा
(घ) क्षेत्रफल – अर्जित क्षेत्रफल 0.2308है0

स.क्र	सर्वे नम्बर	प्रोजेक्ट में अर्जित रकबा (हे.में)	धारा(12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
1	2	3	4	5
1	173	0.0010	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग ग्वालियर	ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई0टी0एम0 कॉलेज से महारानी लक्ष्मीवाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर एलीवेटेड कॉरीडोर/फ्लाई ओवर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन
2	173	0.0033		
3	202	0.0415		
4	202	0.0250		
5	205/1/1	0.0210		

6	205/4/2	0.0310		
7	206/1	0.0397		
8	206/2			
9	206/2	0.0023		
10	207/1/2	0.0100		
11	214/1/1/5	0.0402		
12	214/2/2/1	0.0032		
13	214/2/2/1	0.0030		
14	214/2/11/1	0.0020		
15	214/2/11/2	0.0019		
16	214/2/2/1	0.0023		
17	214/2/11/2	0.0014		
18	214/2/12	0.0015		
19	214/2/2/1	0.0005		
	कुल किता 19	0.2308		

2—सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :—ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई.टी.एम. कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर एलीवेटेड कॉरिडोर/फ्लाईऑवर के एकरेखण हेतु ग्राम गौसपुरा की भूमि का अर्जन ।

3— भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू—अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश पदेन उपसचिव एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–1192–भू–अर्जन–2025

धार, दिनांक 29 जनवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बदनावर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्पहाऊस नम्बर–03 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम लटामली तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा–11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम– लटामली तहसील धार, जिला– धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	बदनावर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्पहाऊस नम्बर –03 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य में प्रभावित होने से	2.500	0.000	2.500
	योग	2.500	0.000	2.500

अनुसूची (2)

बदनावर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्पहाऊस नम्बर–03 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम लटामली तहसील धार की प्रभावित भूमि का विवरण

कमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	मंगलीबाई बेवा खुमान, गंगाराम, हीरालाल, भारत, रामेश्वर, रायकुबाई, सुशीला, रेवाबाई पिता खुमान जाति भील निवासी ग्राम लटामली	69	0.668	0.000	0.668	0.085	0.000	0.085
2	नागरिया, रामसिंग, जामसिंग, नानक्या, कनसिंह पिता पुंजा जाति भील निवासी ग्राम भूमिस्वामी	157/1	1.076	0.000	1.076	0.475	0.000	0.475
3	बाल्या पिता रामचंद्र जाति भील निवासी ग्राम लटामली	159/1	1.020	0.000	1.020	0.731	0.000	0.731
4	भावसिंग पिता रामचंद्र जाति भील निवासी ग्राम लटामली	159/2	1.023	0.000	1.023	0.585	0.000	0.585
5	दिलीप, प्रदीप, भारत, प्रियंका पिता रामसिंह भागुडीबाई बेवा रामसिंह जाति भील निवासी ग्राम लटामली	169	0.624	0.000	0.624	0.624	0.000	0.624
		योग	4.411	0.000	4.411	2.500	0.000	2.500

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–609–भू–अर्जन–2024 देवास, दिनांक 29 नवम्बर 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में **"नगर विकास योजना कमांक टी.डी.एस.–06/2020 मिनी सुपर कारिडोर"** के अन्तर्गत ग्राम **"नागूखेड़ी"** तहसील देवास नगर जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि **"नगर विकास योजना कमांक टी.डी.एस.–06/2020 मिनी सुपर कारिडोर"** से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूचि 1

ग्राम– **नागूखेड़ी** तहसील– देवास (नगर)

क.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	**"नगर विकास योजना कमांक टी.डी.एस. –06/2020 मिनी सुपर कारिडोर"**	0.680	-	0.680

अनुसूचि 2

"नगर विकास योजना कमांक टी.डी.एस.–06/2020 मिनी सुपर कारिडोर"

ग्राम **नागूखेड़ी** तहसील देवास नगर की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम-- **नागूखेड़ी** तहसील– देवास (नगर)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	**रामेश्वर पिता गणपत**	256	0.680	-	0.680	0.680	-	0.680
	प्रभावित कुल क्षेत्रफल							**0.680**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

प.क्र.–163–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–0113–ब–121–2023–24 डॉ. अम्बेडकर नगर, दिनांक 13 जनवरी 2025

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल–अम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु **ग्राम– हरसोला, प.ह.नं.– 23/62, रा.नि.मं.–डॉ. अम्बेडकर नगर, तहसील– डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला– इन्दौर** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–21, सनावद, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ.अम्बेडकर नगर (महू), जिला– इन्दौर** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम– हरसोला, प.ह.नं.– 23/62,	1074/6/1	0.004
			1075/1/2	0.001
			1452/2	0.008
			1453	0.005
			1459/1	0.005
			1463	0.007
			1473/1/2/1	0.004
			1474/2/1	0.005
			1475/2/1	0.001
			1476/1/2	0.003
			1477/3	0.004
			2170	0.013
			2171/1/2	0.003
			2171/2/मिन-1	0.005
			2183/1	0.006
			2183/3	0.002
			2183/4/1	0.003
			2184/4	0.002
			2186/1/1	0.003
			2186/2	0.002
			2186/2245	0.004
			2186/3	0.003
			2187	0.008
		कुल योग	23	0.101

प.क्र.–166–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–0112–ब–121–2023–24 डॉ. अम्बेडकर नगर, दिनांक 13 जनवरी 2025

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल–आम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु **ग्राम– भगोरा, प.ह.नं.– 22/60, रा.नि.मं.–बडगोंदा, तहसील– डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला– इन्दौर** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–21, सनावद, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ.अम्बेडकर नगर (महू), जिला– इन्दौर** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम– भगोरा, प.ह.नं.– 22/60,	171/1238/2	0.003
			169/2	0.002
			179	0.003
			180	0.002
			162/2	0.002
			164/3	0.002
			164/1237/1	0.002
			150/1	0.005
			150/2	0.002
			149	0.002
			154/1	0.002
			142/1	0.005
			140/2	0.001
			142/2	0.002
			140/1	0.001
			221	0.004
			215	0.002
			941	0.002
			938	0.003
			936	0.002
			245/4	0.001
			243/2	0.002
			243/3	0.003
			239/1	0.001
		कुल योग	24	0.056

सी.एस.हुडा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला–खरगोन, मध्यप्रदेश

प.क्र.–349–रीडर–भू–अर्जन–2025 भीकनगांव, दिनांक 24 जनवरी 2025

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

कमांक– 0156 **/ब–121/2024–25** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **अम्बा–रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक आर.एम.–02 व जी.एम.–01 एवं जी.एम.–1/एल.एम.–14 में जल परिवहन हेतु ग्राम– रुखड़िया, प.ह.नं.– 06/72, रा.नि.मं.–अंदड़, तहसील– भीकनगांव, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–21, सनावद, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम– रुखड़िया, प.ह.नं.– 06/72,	66/2	0.004
			65	0.005
			64/2	0.039
			77	0.003
			76/1	0.056
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम– रुखड़िया, प.ह.नं.– 06/72,	76/3	0.037
			11	0.004
			10/1/1/3	0.007
			9/2	0.010
			2/1/1/1	0.003
			1	0.002
			5/1	0.006
			5/2	0.002
		कुल योग	**13**	**0.178**

प.क्र.–350–रीडर–भू–अर्जन–2025

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

क्रमांक– 0155 **/ब–121/2024–25** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **अम्बा–रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक–आर.एम.–01 एवं आर.एम.–02 में जल परिवहन हेतु ग्राम– रोड़िया, प.ह.नं.– 08/74, रा.नि.मं.–अंदड़, तहसील– भीकनगांव, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–21, सनावद, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम– रोड़िया, प.ह.नं.– 08/74,	32/2	0.024
			10/4	0.006
			4/11	0.012
			4/4	0.012
			4/10	0.003
			4/6	0.005
			4/2	0.008
		कुल योग	07	0.070

प.क्र.–351–रीडर–भू–अर्जन–2025

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

कमांक– 0157 /ब–121/2024–25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **अम्बा–रोड़िया उद्‌वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक–जी.एम.–01 एवं जी.एम.–1/एल.एम.–14 में जल परिवहन हेतु ग्राम– उमरिया, प.ह.नं.– 73, रा.नि.मं.–अंदड़, तहसील– भीकनगांव, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–21, सनावद, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम– उमरिया, प.ह.नं.– 73,	1	0.001
			2/1	0.002
			2/2	0.002
			3/1	0.007
			3/4/2	0.009
			8/2	0.002
			6/1	0.011
			6/2	0.011
			24/1	0.009
			32/1	0.001
			32/2	0.006
			33/4	0.006
			34	0.012
			35	0.011
		कुल योग	**14**	**0.090**

प.क्र.–352–रीडर–भू–अर्जन–2025

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

क्रमांक– 0158 **/ब–121/2024–25** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **अम्बा–रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक–आर.एम.–02 एवं जी.एम.–01 व जी.एम.–01/आर.एम.–13 में जल परिवहन हेतु ग्राम– साला, प.ह.नं.– 06/72, तहसील– भीकनगांव, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–21, सनावद, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम– साला, प.ह.नं.– 06/72,	188/5	0.018
			188/4	0.017
			188/3	0.018
			187/1	0.024
			187/2	0.029

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम– साला, प.ह.नं.– 06/72,	77/4	0.024
			77/5	0.015
			77/6	0.015
			69	0.039
			64/1	0.019
			64/2	0.022
			50/2	0.022
			50/3	0.016
			50/4	0.017
			52/5	0.011
			52/4	0.011
			52/7	0.013
			52/6	0.012
			52/1	0.011
			206/3	0.062
			136	0.003
				0.003
			135	0.004
			149/8	0.005
			149/7	0.005
			149/6	0.003
			153/6	0.001
			139/1	0.006
		कुल योग	**27**	**0.445**

प.क्र.–207–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–अ–74–2024–25 कसरावद, दिनांक 28 जनवरी 2025

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक–जी.एम.–2/आर.एम.–2 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम– कुसुमपुरा, प.ह.नं.– 42/135, रा.नि.मं.–बलकवाड़ा, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– कुसुमपुरा, प. ह.नं.– 42/135,	39/1	0.001
			39/2	0.002
			39/3	0.003
			39/4	0.002
			40/1	0.006
			40/2	0.002
			44/5	0.002
			44/4	0.002
			44/3	0.003
			44/2	0.003
			44/1	0.003
			46	0.003
			45/1	0.002
			45/2	0.012
			30	0.009
			26/2	0.003
			26/1	0.014
			25/2/2	0.001
			18	0.003
			23	0.011
			12	0.013
			6	0.001
			2	0.002
		कुल योग	23	0.103

प.क्र.–214–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–अ–74–2024–25

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर ग्रेविटी मेन–1 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम– बाजीटपुरा प.ह.नं.– 48/139, रा.नि.मं.–बलकवाड़ा, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– बाजीटपुरा प.ह.नं.– 48/139,	128/1/5	0.012
			127/3	0.002
		कुल योग	02	0.014

प.क्र.–219–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–अ–74–2024–25

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक–02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम– बाल्यापुरा, प.ह.नं.– 60/98, रा.नि.मं.–कसरावद, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

थ्जला	**तहसील**	**ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक**	**खसरा क्रमांक**	**उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)**
1	2	3	4	5
खरगोन	**कसरावद**	**ग्राम– बाल्यापुरा, प.ह.नं.– 60/98,**	142/3	0.003
			148/1	0.008
		कुल योग	**02**	**0.011**

प.क्र.–224–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–अ–74–2024–25

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक–आर.एम.–02 एवं जी.एम.–01 व जी.एम.–02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम– गुजारी, प.ह.नं.– 52, रा.नि.मं.–01, कसरावद, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– गुजारी, प.ह.नं.– 52,	4/1	0.003
			1/386/1	0.008
			4/4/1/2	0.003
			4/4/1/1	0.008
		कुल योग	04	0.022

प.क्र.–229–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–अ–74–2024–25

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर कमांक–02 एवं जी.एम. –01 पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम– अघावन, प.ह.नं.– 50/141,** रा.नि.मं.–**बलकवाड़ा, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– अघावन, प.ह.नं.– 50/141,	225/2	0.008
			225/7	0.002
			225/6	0.002
			223/4	0.007
			225/5	0.002
			225/4	0.002
			223/3	0.006
			223/2	0.004
			223/6	0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– अघावन, प.ह.नं.– 50 / 141,	223/7	0.006
			225/1	0.002
			223/1	0.013
			225/3	0.002
			220/2	0.003
			233	0.006
			234	0.004
			236	0.007
			237	0.011
			238/1	0.004
			238/2	0.014
			296/3	0.029
			296/4	0.017
			297/1/1	0.005
			224/2	0.019
			269/1	0.007
			268/2	0.014
			147	0.007
			146/1	0.007
			143/3	0.007
			142	0.006
			141	0.002
			129	0.002
			127	0.004
			126/4	0.004
			126/3	0.001
			126/1	0.003
			95/2	0.004
			80/3	0.007
			80/5	0.010
			80/4	0.004
			80/1	0.006
			306/4	0.007
		कुल योग	42	0.284

प.क्र.–234–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–अ–74–2024–25

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **बलकवाड़ा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक– 02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम– सुर्वा, प.ह.नं.– 42/135, रा.नि.मं.–बलकवाड़ा, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– सुर्वा, प.ह.नं.– 42/135,	229/2	0.001
			229/1	0.004
				0.001
			231/1	0.010
			230	0.003
		कुल योग	04	0.019

प.क्र.–239–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–अ–74–2024–25

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप नहर कमांक–02 व जी.एम. –02/एल.एम.–01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम– टेमरनी, प.ह.नं.– 42/135, रा.नि.मं.–बलकवाड़ा, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– टेमरनी, प.ह.नं.– 42/135,	262/1	0.006
			263/1	0.002
			259/3	0.003
			259/2	0.005
			259/1	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– टेमरनी, प.ह.नं.– 42/135,	257	0.014
			268/1	0.014
			225	0.006
			115	0.019
			75/1	0.009
			75/2	0.005
			78/2	0.005
			78/1	0.004
			46	0.003
			45	0.009
			34/3	0.001
			28/3	0.003
			34/2	0.007
			28/1	0.005
			28/2	0.008
			34/1	0.007
			33/2/1	0.006
			33/1	0.005
			29/1	0.009
			18	0.010
			17	0.006
			285	0.018
			576	0.010
			632/1	0.008
			630/1	0.007
			635/1	0.003
			636/1	0.009
			536	0.002
			507	0.005
			537/2	0.011
			538	0.003
		कुल योग	36	0.253

प.क्र.–244–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–अ–74–2024–25

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर कमांक–02 एवं ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक– 01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम– खेड़ी, प.ह.नं.– 51/142, रा.नि.मं.–बलकवाड़ा, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– खेड़ी, प.ह.नं.– 51/142,	109/2	0.012
			150/2	0.003
			110/2	0.014
			150/1	0.022
			151/1	0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– खेड़ी, प.ह.नं.– 51 / 142,	153/1	0.006
			157	0.018
				0.007
			156	0.010
			155	0.007
			159	0.005
			123/1/1	0.003
			262/2	0.003
			262/3	0.002
			262/1	0.013
			258/4	0.006
			261	0.007
			258/3	0.013
			255/1	0.017
			252/2	0.011
			250/1	0.004
			243/1	0.009
			243/2	0.013
			235/1	0.003
			107/1	0.001
			106/1	0.005
			105/2	0.016
			105/3	0.004
			105/1	0.011
			110/1	0.003
			117/2	0.012
			146	0.007
			123/2	0.018
			130/1	0.002
			131/1	0.008
			131/2	0.017
			60/2	0.034
			59/2	0.002
			46/3	0.004
			46/1	0.012
			33/1	0.004
			33/2	0.005
			32/1	0.016
		कुल योग	**42**	**0.405**

प.क्र.–249–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–अ–74–2024–25

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2)देखिऐ}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक– 02 एवं जी.एम. –02/आर.एम.–02 व जी.एम.–02/एल.एम.–01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम– जलज्योती, प.ह.नं.– 51/142, रा.नि.मं.–बलकवाड़ा, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला– खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– जलज्योती, प.ह.नं.– 51/142,	228/2	0.005
				0.008
				0.007
			228/1	0.002
				0.024

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– जलज्योती, प.ह.नं.– 51 / 142	224	0.014
			225/1	0.004
			63/1	0.005
			221	0.006
			63/2	0.008
			58	0.001
			266/1	0.009
			60/2	0.005
			262	0.003
			61	0.009
			65/4	0.008
			42	0.009
				0.010
			65/5	0.002
			65/3	0.008
			65/2	0.009
			41	0.001
			38/2	0.004
			229	0.005
				0.009
			227/1	0.004
			227/2	0.006
			227/3	0.009
			234/3	0.003
			237/1	0.005
			246	0.011
			248	0.001
			180	0.007
			268/1	0.007
			253/1	0.002
			268/6	0.011
			254/1	0.003
			261/1	0.006
			257/2	0.004
			258/3	0.001
			258/1	0.015
			84/2	0.017

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– जलज्योती, प.ह.नं.– 51 / 142	84/3	0.017
			84/1	0.007
			83/7	0.008
			83/5	0.004
			83/3	0.004
			106/1	0.006
			107/1	0.021
			108/1	0.004
			109	0.009
			101	0.006
			100	0.015
			90/1	0.003
			91/2	0.003
			91/1	0.009
			92	0.003
			74	0.009
			72	0.006
			71	0.005
			220	0.007
			232/1	0.006
			232/2	0.006
			233	0.010
			52	0.008
			51	0.003
			53	0.007
			50/1	0.011
			45/3	0.011
			45/1/1	0.014
		कुल योग	65	0.509

सत्येन्द्र बैरवा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी, तहसील मनावर जिला धार, मध्यप्रदेश

पत्र क्र.–199–भू–अर्जन–री–1–2025–रा.प्र.क्र.–0062–बी–121–2024–25 मनावर, दिनांक 29 जनवरी 2025

प्ररूप– "ख"
{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्‌वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम– चौकी, प.ह.नं.– 80, रा.नि.मं.–बाकानेर, तहसील– मनावर, जिला– धार** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला– धार (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला– धार** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम– चौकी, प.ह.नं.– 80,	4/1	0.049
			4/2	0.033
			6/1	0.060
			119/2/1	0.004
			6/2/2	0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम– चौकी, प.ह.नं.– 80,	26/1/1/1	0.060
			26/1/1/2	0.003
			25/6	0.056
			49/1/1	0.035
			49/1/2/1	0.003
			49/2/1/3	0.013
			51/1/4	0.010
			49/2/1/4	0.011
			51/1/3	0.010
			49/2/1/5	0.014
			51/1/7	0.013
			49/2/1/6	0.009
			51/1/5	0.010
			49/2/2	0.032
			50/1/1	0.038
			51/2	0.021
			50/2	0.035
			83/1	0.102
			49/2/1/2	0.013
			51/1/2	0.015
			49/2/1/1	0.040
			51/1/6	0.012
			90/1	0.032
			90/2/3	0.012
			89	0.054
			92/2/1	0.016
			92/1	0.052
			92/2/3/1	0.016
			92/2/4	0.041
			92/4	0.015
			92/3	0.018
			119/1	0.036
			119/2/2	0.004
			123/2/1	0.003
		कुल योग	**39**	**1.013**

पत्र क्र.–200–भू–अर्जन–री–1–2025–रा.प्र.क्र.–0060–बी–121–2024–25

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम– सुलीबयड़ी, प.ह.नं.– 86/213, रा.नि.मं.–उमरबन, तहसील– मनावर, जिला– धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला– धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला– धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम– सुलीबयड़ी, प.ह.नं.– 86/213,	71/2/1/1	0.020
			71/2/1/2	0.019
			71/2/2	0.004
			139/2	0.013
			140/1/1	0.012

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम– सुलीबयड़ी, प.ह.नं.– 86 / 213,	140/2	0.013
			303/3/2/3	0.136
			140/3	0.028
			303/1/2/2	0.064
			303/3/2/2	0.058
			140/4/2	0.010
			140/358/2	0.076
			141	0.023
			142	0.014
			147	0.036
			148/1/2	0.015
			148/2/2	0.042
			148/1/1/2	0.056
			148/1/1/1	0.079
			163	0.027
			172	0.005
			181/4/1	0.029
			164	0.003
			173/5	0.050
			181/4/2	0.018
			165/1	0.038
			165/2	0.087
			180	0.032
			181/1	0.064
			184/1/3	0.045
			184/2	0.019
			183/1/2	0.147
			300	0.058
			302/6/1	0.082
			302/9/1	0.055
			302/2/1	0.058
			303/3/1/1	0.014
		कुल योग	**37**	**1.549**

पत्र क्र.–201–भू–अर्जन–री–1–2025–रा.प्र.क्र.–0061–बी–121–2024–25

प्ररूप– ''ख''
{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम– धनोरा, प.ह.नं.– 85/212, रा.नि.मं.–बाकानेर, तहसील– मनावर, जिला– धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला– धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला– धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम– धनोरा, प.ह.नं.– 85/212	118	0.074
			92/2	0.050
			113/1	0.061
			126/2	0.017
			113/2	0.033

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम– धनोरा, प.ह.नं.– 85/212,	125/1	0.009
			125/3	0.015
			126/1	0.035
			91/3	0.102
			91/1	0.019
			94/1/1	0.040
			94/1/2	0.010
			87/1/1	0.003
			87/1/2	0.042
			87/2	0.016
			84/1	0.017
			86/1	0.011
			86/2	0.026
			85/2	0.047
			71/1	0.019
			77/2	0.006
			72/2	0.022
			48/2	0.058
			72/1	0.023
			46	0.058
			49/2/1	0.029
			49/2/2/2	0.046
			43/1/1/1	0.013
			43/2/2/3	0.005
			43/1/1/2	0.013
			43/2/2/2	0.005
			43/1/1/3	0.013
			43/2/2/1	0.006
			43/1/1/4	0.013
			43/2/2/4	0.006
			43/1/2	0.068
			43/2/1	0.042
			43/2/2/5	0.017
			42/1/2/1	0.013
			42/1/2/2	0.013
			42/1/2/3	0.012
			42/2/1	0.014
			210/1/2/1	0.051
			42/2/2	0.015
			210/1/3/1	0.051
			210/1/3/2	0.055
			42/2/3	0.022
			210/1/1	0.046
			34/2/2	0.020
		कुल योग	**49**	**1.401**

पत्र क्र.–202–भू–अर्जन–री–1–2025–रा.प्र.क्र.–0059–बी–121–2024–25

प्ररूप– ''ख''
{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम– बुहारला, प.ह.नं.– 81/208, रा.नि.मं.–बाकानेर, तहसील– मनावर, जिला– धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला– धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला– धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम– बुहारला, प.ह.नं.– 81/208,	210/1/2	0.045
			210/1/1/1/1/1	0.032
			210/1/1/1/1/2/1	0.014
			210/1/1/1/1/2/2	0.031
			210/1/1/1/2	0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम– बुहारला, प.ह.नं.– 81 / 208,	210/1/1/2	0.020
			210/4/1	0.035
			210/7/2	0.017
			210/4/2	0.035
			210/7/1	0.020
			210/5/2	0.018
			210/9	0.040
			210/3	0.031
			210/2/2	0.038
			210/2/3	0.022
			210/1/1/1	0.020
			239/1/8	0.010
			217/1	0.032
			217/4	0.032
			217/5	0.044
			218	0.005
			219/3	0.041
			219/1	0.044
			219/2/2	0.038
			239/1/9	0.010
			240/5/3	0.006
			223/2/2	0.013
			238/2/2	0.029
			223/2/3	0.022
			238/2/3	0.031
			223/2/4	0.015
			223/2/5	0.013
			238/2/5	0.018
			225/1/1	0.003
			225/1/5	0.017
			225/1/2	0.020
			225/1/4	0.018
			225/1/3	0.038
			238/1/1	0.020
			238/2/1	0.014
			239/1/10	0.023
			239/1/5	0.003
			240/5/1	0.028
			239/3/1	0.044
			239/3/2	0.042
			239/3/3	0.015
			240/6/1	0.038
			241/1/1	0.023
			241/1/2	0.022
			241/1/3	0.024
			241/2	0.027
		कुल योग	**51**	**1.253**

पत्र क्र.–203–भू–अर्जन–री–1–2025–रा.प्र.क्र.–0058–बी–121–2024–25

प्ररूप– "ख"

{नियम–5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम– आमसी, प.ह.नं.– 67/194, रा.नि.मं.–बाकानेर, तहसील– मनावर, जिला– धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला– धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला– धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम– आमसी, प.ह.नं.– 67/194	50/1/1	0.026
			50/1/2	0.056
			50/2	0.054
			50/3	0.040
			51/2/2	0.022

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम– आमसी, प.ह.नं.– 67 / 194,	51/2/3	0.013
			51/2/4	0.006
			43/1/3	0.016
			44/1	0.007
			43/1/1	0.031
			43/1/2/2	0.012
			42/2	0.077
			43/2/7	0.031
			42/2/143/2	0.033
			42/2/2 43/2	0.031
			43/2/4	0.031
			43/2/6	0.026
			43/2/3/1	0.047
			70/9	0.049
			66/1	0.058
			66/2	0.037
			66/3	0.032
			123	0.064
			124/1/1	0.032
			124/1/2	0.038
			126/3	0.010
			126/4	0.008
			126/5	0.051
			154/1	0.036
			154/4	0.040
			154/2	0.072
			150/1/1	0.033
			162/1	0.065
			163	0.061
			164	0.045
			214	0.081
			210	0.019
			211/1	0.045
			211/2	0.036
			212/1	0.051
			212/2	0.049
			226/1	0.068
			226/2/1/1	0.059
			227/1/1/1	0.027
			227/1/7/2/2	0.060
		कुल योग	**45**	**1.785**

राहुल गुप्ता, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2025

क्र. For–2–0004–2022–Sec–2–दस.– मध्यप्रदेश (असाधारण) राजपत्र दिनांक 31 जनवरी 2023 में प्रकाशित वन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2023 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025

क्रमांक/PCCF/7/0003/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - विदिशा तहसील - शमशाबाद

वनमंडल -विदिशा वन परिक्षेत्र -शमशाबाद

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	रगरू	रगरू	चरनोई शासकीय भूमि	37/1/2	9.009	उत्तर -प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 8 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण-प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 2 से 6 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम-प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 6 से 8 तक की कृत्रिम वनसीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -

1. भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक एफ-8-26/59 दिनांक 16/09/2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की स्वीकृत परियोजना- सगड मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित क्षेत्र 388.000 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में ग्राम रंगरू तहसील शमषाबाद की शासकीय भूमि के सर्वे क्रमांक 37/1 रकबा 14.789 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा क्रमांक 37/1, रकबा 9.009 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उदेदष्य से मध्य प्रदेष शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला विदिषा के आदेश क्रमांक प्र.क्र./17अ-19/12-13 दिनांक 05/01/2013 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार.शमशाबाद के प्रतिवेदन क्रमांक 1099 दिनांक 12/07/2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

1. व्यक्तिगत अधिकारः - नहीं

2. सामुदायिक अधिकारः - नहीं

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025

क्र.I–206094–2025.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.I–206094–2025, दिनांक 24 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 24th January 2025

No./PCCF/7/0003/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District : - Vidisha Tahsil : - Shamshabad

Forest Division: - Vidisha Forest Range : - Shamshabad

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra no	Area Hectare	
1	Ragru	Ragru	Charnoi Government Land	37/1/2	9.009	North-Artificial Forest boundary from Pillar No 8 to Pillar No 1 of the proposed protected forest block. East- Artificial Forest boundary from Pillar No 1 to Pillar No 2 of the proposed protected forest block. South-Artificial Forest boundary from Pillar No 2 to Pillar No 6 of the proposed protected forest block. West- Artificial Forest boundary from Pillar No 6 to Pillar No 8 of the proposed protected forest block.
				Total	9.009	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India New Delhi order No.F-8-26/59 Dated16/09/2008 and in lieu of Irrigation Department Area -388.000 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sagad Medium Irrigation Project.(Name of Project) of Irrigation Department, Survey No 37/1 of Government Land of Village Ragru Tehsil Shamshabad Rakwa--14.789 hectare out of Non forest land. The above mentioned Non forest land Khasra No 37/1 the above mentioned Non Forest Land of 9.009 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by Collector Vidisha order No 17/A-19/12-13 dated 05/01/2013 of Allotment for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1099 dated 12/07/2021 of THASLDAR (Shamshabad) are as under.

1. Individual Rights -No
2. Community Rights – No

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025

क्रमांक/PCCF/7/0213/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगें।

अनुसूची

जिला – मंदसौर
वनमंडल - मंदसौर
तहसील - शामगढ़
परिक्षेत्र – गरोठ

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाए
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	बरखेड़ानायक (सी0ए0)	बरखेड़ा नायक	गैर वनभूमि (बर्डी)	845/1 (भाग)	2.10	उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 एवं 4 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र क्रमांक/FP/MP/WATER/ 413442/2023 दिनांक 09.09.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक म0प्र0 जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, मंदसौर म0प्र0 की स्वीकृत परियोजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांधीसागर-1 समूह जल प्रदाय योजना में प्रभावित 2.182 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में उपरोक्त वर्णीत सर्वे नं0 845/1 (भाग) रकबा 2.10 हेक्टेयर बर्डी (गैर वन पड़त भूमि) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला मंदसौर के प्रकरण क्रमांक/223/अ-20(3)/2023-24 आदेश दिनांक 24.01.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- कोई नही

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी - तहसीलदार तहसील शामगढ़ के प्रतिवेदन क्रमांक - दिनांक 26.02.2024 एवं संलग्न प्रमाण-पत्र द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- कोई नही
2. सामुदायिक अधिकार:- कोई नही

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025

क्रमांक / क्रमांक 84–2025–PCCF.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक / क्रमांक 84–2025–PCCF, दिनांक 24 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 24th January 2025

No./PCCF/7/0213/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of The Indian forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declares The provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas Specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest Shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

SCHEDULE

District :- Mandsour **Tehsil :- Shamgarh**

Forest Division :- Mandsour **Forest Range :- Garoth**

S.N.	Details of land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1-	Barkheda Nayak (C.A.)	Barkheda Nayak	Non Forest Barren Land (Barddi)	845/1 (Part)	2.10	**North** - Artificial forest boundary from Pillar No. 6 to1 of proposed protected forest block. **East** - Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to3 of proposed protected forest block. **South** - Artificial forest boundary from Pillar No. 3 to4 of proposed protected forest block. **West** - Artificial forest boundary from Pillar No. 4 to6 of proposed protected forest block.

Reason for publication of Notification :-

1. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi ,first Stage Sention No. FP/MP/WATER/413442/2023 Date 09-09-2024 As per the imposed condition General Manager, M.P. Jal Nigam Limited, Project Implementation Unit, Mandsaur, M.P. In lieu of 2.182 hectares of forest land affected in Gandhi Sagar-1

   Group Water Supply Scheme under the approved project of Jal Jeevan Mission, the above mentioned survey no. 845/1 (part) area 2.10 hectare Bardi (non-forest fallow land) has been transferred or renamed in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department for the purpose of compensatory afforestation by the Court Collector District Mandsaur case number/223/A-20(3)/2023-24 order dated 24.01.2024.
2. The detailed Khasra wise details of the rights recorded by the Tehsildar Tehsil Shamgarh's report number - dated **26.02.2024** and the attached certificate are as follows:-.

   (A) Rights of individual: - **Nil**

   (B) Rights of Community: - **Nil**

   There fore the above is being Declared as Protected forest land under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025

क्रमांक/FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16) सन् 1927 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की सूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या सामुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - पन्ना तहसील - अमानगंज

वनमण्डल - दक्षिण पन्ना वन परिक्षेत्र - पवई

अ.क्र.	वन खण्ड की भूमि का विवरण					वन खण्ड की सीमाए
	प्रस्तावित वन खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे. में)	
1	खजरूट (बी)	खजरूट	शासकीय वन	125/1/1	1.62	उत्तर:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से मुनारा क्र. 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड केमुनारा क्र. 3 से मुनारा क्र. 12 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से मुनारा क्र. 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
योग				1	1.62	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल

के आदेश क्रः 6-MPB09/2021-BHO/ दिनाक 23.06.2021 में आधरोपित शर्तों के अनुसार महाप्रबंधक म.प्र.जल निगम मर्या. परियोजना क्रियान्वयन इकाई पन्ना को स्वीकृत जल शोधन संयंत्र एवं पहुॅचमार्ग निर्माण में प्रभावित 1.62 हे. वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.62 हे. गैर वनभूमि से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.62 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के पत्र क्रमांक-05/ अ -19(3) पारित आदेश दिनांक 07 अक्टूबर 2020 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2- अन्य कारणों का विवरण - कुछ नहीं

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(i) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

(ii) सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025

क्र. FOR–9–0004–2025–Sec–3–दस(FOR).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. FOR–9–0004–2025–Sec–3–दस(FOR), दिनांक 24 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 24th January 2025

No./FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provision of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below, subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not abridged or affected or affected in any manner except in so for as they may इe modified by the state government from time to time.

SCHEDULE

District: Panna Tehsil :- Amanganj

Forest Division:-South Panna Forest Range :- Pawai

s.no.	Name of forest block	Detail of the land included				Forest block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra no.	Area (Hectare)	
1.	Khajrut (B)	Khajrut	Govt. Forest	25/1/1	1.62	North:-Artificial Forest Boundary from Pillar No.1 to Pillar No.2 of Proposed Protected Block. East:- Artificial Forest Boundary from Pillar No.2 to Pillar No.3 of Proposed Protected Block. South:- Artificial Forest Boundary from Pillar No.3 to Pillar No.12 of Proposed Protected Block. West:- Artificial Forest Boundary from Pillar No.12 to Pillar No.1 of Proposed Protected Block.
			Total	1	1.62	

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change New Delhi, Govt. of India order no. 6-MPB09/2021-BHO/ date 23.06.2021 in lieu of 1.62 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Water treatment plant and Approach road of General Manager MP Jal Nigam Mayardit Panna District Panna the above mentioned Non forest land of 5.00 hectare transferred and mutated in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department by order case no-05/A-19(3) dated 07 October 2020 of Collector District Panna M.P. for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - No.

(b) The khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Nil) dates (Nil). Of Competent revenue officer (Nil) (Designation-Nil) are as under.

1. Individual rights - Nil
2. community rights - Nil

There fore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.